

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार  
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/हजारीबाग/याँ०  
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन  
पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखण्ड राँची।

राँची, दिनांक 8/10/21

विषय :- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 49S27010300106 अन्तर्गत 3 कार्यालयों को विभिन्न मदों में कुल रु 153.40 लाख (एक करोड़ तीरेपन लाख चालीस हजार मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट मुख्य शीर्ष 2701- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

| क्रमांक | मांग संख्या/मुख्य शीर्ष                           | उप मुख्य शीर्ष             | लघु शीर्ष/उप शीर्ष                                                    | आवंटित राशि<br>(लाख ₹ में) |
|---------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1       | 2                                                 | 3                          | 4                                                                     | 5                          |
| 1.      | मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701-मध्यम सिंचाई | 03- मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक | 001-निदेशन तथा प्रशासन/ 06-छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना | 153.400                    |

कुल आवंटित राशि -

रुपये एक करोड़ तीरेपन लाख चालीस हजार मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट उपबंध ₹ 8612.11 लाख (छियासी करोड़ बारह लाख ग्यारह हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1681(वि०) दि० 16.06.15 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
- प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
- सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित्त विभाग के पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।
- कोषागार से आवंटित राशि की निकासी योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)झारखण्ड सरकार के द्वारा समय- समय पर निर्गत आदेश के आलोक में किया जायेगा।

( राजेन्द्र प्रसाद )  
उप सचिव (अभि०)

8/10/21

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)  
संयुक्त सचिव(अभि०)

9. वित्त विभाग के पत्रांक-29/बी०टी०ई०-18/2014.-15/300 दिनांक-30.03.2015 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जाएगा।
11. यदि आवंटित राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। अतिरिक्त आवंटन की अध्याचना के विरुद्ध आवंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आवंटन के विरुद्ध शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण **Online** किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कापी में **Acces No** एवं **Revoke No** का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्त नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्त नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (**chronological order**) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2022 से पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साइट ( <http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

  
(प्रशांत कुमार)  
सचिव

ज्ञापांक :- 138

रॉची, दिनांक :- 08/10/21

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिन्, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/मेदिनीनगर/हजारीबाग सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

  
(प्रशांत कुमार)  
सचिव

ज्ञापांक :- 138

रॉची, दिनांक :- 08/10/21

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/सचिव, योजना विभाग/वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, प्रमंडल-3, को Online Sanction निर्गत करने हेतु/प्रशाखा-7 को पांच अतिरिक्त प्रतियों में/सचिव के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

  
(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

  
(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)  
संयुक्त सचिव(अभि.)

  
(प्रशांत कुमार)  
सचिव



भाग संख्या-49-जल संसाधन विभाग  
मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिंचाई / उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक  
लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन / उप शीर्ष-06-छोटानानापुर एवं स्थाल परना सिंचाई परियोजना

पत्रांक.....138..... दिनांक.....21/06/21 का अनुलानक

| क्र.सं. | वित्तीय वर्ष 2021-2022  | विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते |                                |          | विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय |               |                |                     |        |       |              |                              |                               |                            | राशि लाख रुपये में |           |
|---------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------|
|         |                         | वेतन                            | 15.11.2000 के पूर्व का वेतनादि | एलव्हीसी | देशीय यात्रा व्यय               | कार्यालय व्यय | किराया, दर, कर | आपूर्ति एवं सामग्री | दूरभाष | वर्दी | विद्युत व्यय | मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मत | विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां | विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय | कुल योग            | अभिवृत्ति |
| 1       | 2                       | 3                               | 4                              | 7        | 8                               | 9             | 10             | 11                  | 12     | 13    | 14           | 15                           | 16                            | 17                         | 18                 | 19        |
| 1       | जलपथ प्रमंडल, बरही      | पूर्व का आवंटन                  | 294.000                        | 0.000    | 0.000                           | 0.200         | 0.250          | 0.000               | 0.000  | 0.000 | 0.000        | 0.000                        | 0.000                         | 0.000                      | 294.450            |           |
|         | अतिरिक्त आवंटन          | 50.000                          | 0.000                          | 0.000    | 0.800                           | 0.250         | 0.000          | 0.200               | 0.000  | 0.000 | 0.000        | 0.000                        | 0.000                         | 0.500                      | 51.750             |           |
|         | अग्रतन आवंटन            | 344.000                         | 0.000                          | 0.000    | 1.000                           | 0.500         | 0.000          | 0.200               | 0.000  | 0.000 | 0.000        | 0.000                        | 0.000                         | 0.000                      | 346.200            |           |
| 1       | जलपथ प्रमंडल, मोदीनगर   | पूर्व का आवंटन                  | 279.000                        | 0.000    | 0.000                           | 0.200         | 0.650          | 0.000               | 0.200  | 0.150 | 0.000        | 0.800                        | 0.000                         | 0.000                      | 281.000            |           |
|         | अतिरिक्त आवंटन          | 0.000                           | 0.000                          | 0.000    | 0.000                           | 0.000         | 0.000          | 0.000               | 0.000  | 0.000 | 0.000        | 0.000                        | 0.000                         | 0.100                      | 0.100              |           |
|         | अग्रतन आवंटन            | 279.000                         | 0.000                          | 0.000    | 0.200                           | 0.650         | 0.000          | 0.200               | 0.150  | 0.000 | 0.000        | 0.800                        | 0.000                         | 0.100                      | 281.100            |           |
| 2       | यांत्रिक प्रमंडल, बनारस | पूर्व का आवंटन                  | 164.000                        | 0.000    | 0.000                           | 0.200         | 0.250          | 0.000               | 0.000  | 0.000 | 0.000        | 0.300                        | 0.000                         | 0.000                      | 164.750            |           |
|         | अतिरिक्त आवंटन          | 100.000                         | 0.000                          | 0.000    | 0.300                           | 0.250         | 0.000          | 0.150               | 0.000  | 0.000 | 0.000        | 0.600                        | 0.000                         | 0.250                      | 101.550            |           |
|         | अग्रतन आवंटन            | 264.000                         | 0.000                          | 0.000    | 0.500                           | 0.500         | 0.000          | 0.150               | 0.000  | 0.000 | 0.000        | 0.900                        | 0.000                         | 0.250                      | 266.300            |           |
| 3       | अतिरिक्त आवंटन का योग   | 150.000                         | 0.000                          | 0.000    | 1.100                           | 0.500         | 0.000          | 0.350               | 0.000  | 0.000 | 0.000        | 0.500                        | 0.000                         | 0.850                      | 153.400            |           |

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि-

रुपये एक करोड़ तीरपन लाख चालीस हजार मात्र

(सज्जद प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)  
संयुक्त सचिव(अभि.)

(प्रशांत कुमार)  
सचिव